

5-4-18

पत्रावली के माध्यम से वादीगण को वादीगण  
के वकील को सूचना देकर कोर्ट  
अदालत लगाई जाती वादीगण को  
उनके वकील उपस्थित नहीं है  
अतः बाद वादीगण अदालत हाजरी व  
अदालत देखा में उपस्थित किया  
जाता है पत्रावली के माध्यम से  
सूचना देकर सूचना देकर सूचना  
दाखिल है